झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय–सत्र
वर्ष–01

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक 10 चैत्र,1937 (श0) / 30 मार्च,2015 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सां संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
265.	अ0सू0–38	श्री बादल	पुलिस अनुसंधान को प्रभावी बनाना	गृह	16.03.2015
266.	अ0सू0–43	श्रीमती निर्मला देवी	उग्रवादियों पर अंकुश लगाना।	गृह	17.03.2015
267.	अ0सू0–42	श्री जानकी प्र0 यादव	अभियुक्त की गिरफ्तारी।	गृह	16.03.2015
268.	अ0सू0–46	डॉ0 जीतू चरण राम	ए0सी0पी0का। लाने बाबत।	वित्त	19.03.2015
269.	अ0सू0–17	श्री अशोक कुमार	फायर ब्रिगेड का सम्पूर्ण शाखा खोलना।	गृह	01.03.2015
270.	अ0सू0–49	श्री ढुलू महतो	नगर निगम से मुक्त करना।	कार्मिक	24.03.2015
271.	अ0सू0–37	श्री राधाकृष्ण किशोर	परिसम्पत्तियों का सृजन	योजना	16.03.2015
272.	अ0सू0–47	श्री राज सिन्हा	अविलम्ब एम0डी0 पद से हटाना।	कार्मिक	19.03.2015
273.	अ0सू0–36	श्री कमल किशोर भगत	उपजातियों का कोटा निर्धारित करना।	कार्मिक	15.03.2015
274.	अ0सू0–50	श्री ढुलू महतो	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन	24.03.2015

नोट :- कार्मिक विभाग के पत्रांक-2728 दिनांक 26.03.15 द्वारा नगर विकास विभाग में स्थानान्तरित।

कृ0पृ0उ0...

01	02	03	04	05	06
उत्तर संलग्न 275.	अ0सू0–39	श्री बादल	मैक्नीजय विकसित करना	वित्त	16.03.2015
उत्तर संलग्न 276.	अ0सू0–41	श्री शिवशंकर उराँव	निर्दोष बालकों को न्याय देना।	गृह	16.03.2015
उत्तर संलग्न 277.	अ0सू0–48	श्रीमती निर्मला देवी	अनुसूचित जाति में शामिल करना।	कार्मिक	20.03.2015
उत्तर संलग्न 278.	अ0सू0–40	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	सकल अभ्यर्थियों की नियुक्ति	कार्मिक	16.03.2015
उत्तर संलग्न 279.	अ0सू0–30	श्री प्रदीप यादव	बकाया ऋण राशि की वसूली।	वित्त	10.03.2015
उत्तर संलग्न 280.	अ0सू0–45	श्रीमती मेनका सरदार	रोस्टर के आधार पर प्रोन्नति देना।	कार्मिक	18.03.2015
281.	अ0सू0–44	श्री अरूप चटर्जी	ओ0एस0डी0 पद से हटाना।	वित्त	18.03.2015

रांची
दिनांक–30 मार्च,2015 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–03/2015–1685/वि0स0,रांची,दिनांक– 26/3/15

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष/अन्य मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–03/2015–1685/वि0स0,रांची,दिनांक– 26/3/15

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय अपर सचिव (प्रश्न) एवं संयुक्त सचिव (वेबसाईट) को सूचनार्थ प्रेषित

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

बहादुर/

श्री बादल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–30.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पुलिस अनुसंधान की स्थिति नहीं रहने के कारण अपराधियों को सजा दिलाने का प्रतिशत मात्र 25 प्रतिशत है ;	अस्वीकारात्मक। यह बात सही नही है, यदि एन०सी०आर०बी०, नई दिल्ली द्वारा संधारित अद्यतन आकड़ा वर्ष–2012 को देखा जाय तो महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में सजा दिलाने का प्रतिशत–30% है। यदि शीर्षवार सजा दिलाने का प्रतिशत देखा जाय तो हत्या–30.9%, बलात्कार–28.6%, अपहरण–32.6%, डकैती–31.7%, लूट–27.1%, गृह भेदन–31.9%, चोरी–25.2%, इत्यादि सजा दिलाने का प्रतिशत है। अपराधियों को सजा नहीं मिल पाने का कई कारक है यथा गवाहो का समय पर न्यायालय में उपस्थित नही होना, अपने व्यान से मुकर जाना, वादी का अभियुक्तों से सुलहनामा करना, न्यायालय में वादों के विचारण की अवधि लम्बी होना इत्यादि।
2	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपराध में कमी लाने के लिए पुलिस अनुसंधान को प्रभावी बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?	अपराध को कम करने के लिए सरकार के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा एन्टी टेरोरिस्ट स्क्वायड का गठन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान कांड को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण वैज्ञानिक रीति से करने के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय (Investigation Training School) के गठन का निर्णय लिया गया है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग के द्वारा पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को प्रशिक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है। अपराध अनुसंधान विभाग में (वर्ष–2013–2014) में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। जिला स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में अभियोजन कोषांग की गठन की गई है, जिसके स्तर से न्यायालय से बेहतर समन्वय स्थापित कर अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है, महत्वपूर्ण अपराधिक मामलों में सजा दिलाने हेतु त्वरित विचारण कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–18/2015/1767/ राँची, दिनांक–27/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3

सरकार के उप सचिव।

श्री निर्मला देवी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक-30.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०-43 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा प्रखंड में आम्रपाली कोल योजना से ग्रामीणों के द्वारा अपनी मांग किया जाता है तो टी०पी०सी० संगठन के उग्रवादियों के जंगल में ले जाकर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्थानीय ग्रामीणों अथवा आम्रपाली प्रबंधन की ओर से टी०पी०सी० उग्रवादियों के विरूद्ध प्रश्नांकित कार्रवाई के लिये टण्डवा थाना/अनुमण्डल या जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारियों को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। समुचित निगरानी रखी जा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन उग्रवादियों को चिह्नित कर उनके अवैध सम्पतियों को जब्त कराने ग्रामीण रैयतों को भयमुक्त वातावरण दिलाने उग्रवादियों पर अंकुश लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्थानीय-सह-जिला पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों को चिन्हित कर उनकी अवैध संपतियों को जब्त करने, ग्रामीण रैयतों को भयमुक्त वातावरण दिलाने के साथ उग्रवादियों पर अंकुश लगाने हेतु पुरी तत्परता के साथ सक्रिय है। प्राप्त आसूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में आम्रपाली क्षेत्र में सक्रिय टी०पी०सी० उग्रवादी संगठन से संबंधित विन्देश्वर उर्फ विन्दु गंझू के विरूद्ध टण्डवा थाना कांड संख्या-20/15, दिनांक-12.03.2015 धारा-341/448/323/387/506/34 भा०द०वि० 17(1)(2) सी०एल०ए० एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अनुसंधान की दिशा में दिनांक-13.03.2015 को विन्देश्वर गंझू उर्फ विन्दु गंझू, पिता-मीखन गंझू, सा०-होन्हे, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है साथ ही इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपति यथा बैंक खाता, एक जे०सी०बी० मशीन, एक 12 चक्का ट्रक नंबर जे०एच०-13बी०/8095, एक नया बिना नंबर एक्स०यू०वी० गाड़ी को जप्त किया गया गया है एवं अन्य टी०पी०सी० उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्त्तन निदेशालय से सम्पर्क स्थापित किया गया है तथा शीघ्र ही PMI, Act, 2002 के तहत कुछ प्रस्ताव (सम्पत्ति जप्त करने हेतु) समर्पित किये जायेंगे। इस क्षेत्र में आम जनता, ग्रामीण रैयतों के साथ साथ कोल परियोजना प्रबंधन व कामगारों को भयमुक्त वातावरण दिलाने एवं टी०पी०सी० उग्रवादियों पर अंकुश लगाने व नियंत्रण की दिशा में आई०आर०बी० बल की एक कंपनी को आम्रपाली में स्थापित किया जा चुका है एवं स्थानीय जिला बल व अन्य उपलब्ध बल के साथ नियमित गश्ती के साथ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक-08/वि०स०(04)-17/2015/1757/ राँची, दिनांक-27/03/2015 ई०।

प्रतिलिपि-200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ त्वरित सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.15
सरकार के उप सचिव।

2-67

श्री जानकी प्रसाद यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–30.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत जयनगर थाना निवासी डाक कर्मी श्री रामचन्द्र यादव को आतंकी गिरोह के सरगना श्री बबलू राय ने दिनांक–27.02.2015 को ड्यूटी के दौरान गोली मार दी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त घटना के संबंध में जयनगर थाना काण्ड संख्या–34/2015 दर्ज है, लेकिन अब तक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण दहशत के साये में जी रहे है;	यह बात सही कि घटना के संबंध में जयनगर थाना कांड सं०– 34/2015 दर्ज है, जिसमें नामजद तीन अभियुक्त क्रमशः 1. बबलू राय पिता–नारायण राय सा०–कटीया, 2. बन्टी सिंह पिता–जयकृष्ण सिंह, सा०–परसाबाद एवं 3. सुनील राय पिता–नारायण राय सा०–कटीया तीनों थाना–जयनगर के हैं। उक्त अभियुक्तों में से प्राथमिकी अभियुक्त बन्टी सिंह पिता–जयकृष्ण सिंह सा०–परसाबाद थाना–जयनगर को दिनांक–28.02.2015 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं प्राथमिकी अभियुक्त सुनील राय पिता–नारायण राय सा०–कटीया थाना–जयनगर जो वर्त्तमान में कोडरमा जेल में है एवं इन्हें इस कांड में रिमाण्ड किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त बबलू राय, पिता–नारायण राय सा०–कटिया थाना–जयनगर के कलकत्ता में होने की खबर के आधार पर स्थानीय थाना अंडाल, बर्द्धमान और उपकार थाना में थाना प्रभारी के साथ अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा छापामारी की गयी, परन्तु छापामारी के दौरान उक्त अभियुक्त को वहाँ नही पाया गया। अभियुक्त के विरूद्ध इस्तेहार निर्गत किया गया है एवं फरार रहने की स्थिति में माननीय न्यायालय में कुर्की–जब्ती हेतु आवेदन दिया गया है। वर्त्तमान में काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में आतंकी गिरोह के सरगना श्री बबलू राय एवं उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?	कंडिका 02 के अनुरूप।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(34)–15/2015, 1759/ राँची, दिनांक 27/03/2015 ई०।

प्रतिलिपि -200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3
सरकार के उप सचिव।

श्री डा० जीतू चरण राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग, झारखण्ड राज्य में कार्यरत राजस्व कर्मचारी एवं पदाधार सर्वेक्षक/सेवक, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है, को प्रथम एसीपीपी लाभ के अंतर्गत रु० 5000-8000 (अनुसंशित) एवं द्वितीय एसीपीपी लाभ के अंतर्गत रु० 6500-10500/5500-9000 (अनुसंशित) दिया गया है।	स्वीकारात्मक। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 378/वि० दिनांक 06.02.2014 के द्वारा राजस्व कर्मचारियों का प्रथम एसीपीपी वेतनमान रु5000-8000, मैट्रिक योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों का द्वितीय एसीपीपी वेतनमान रु6500-9000 तथा स्नातक योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों का द्वितीय एसीपीपी वेतनमान रु6500-10500 अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 46/वि० दिनांक 07.01.2014 के द्वारा पंचायत सचिव का प्रथम एसीपीपी वेतनमान रु5000-9000 एवं द्वितीय एसीपीपी वेतनमान रु6500-9000 अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड राज्य में कार्यरत जन सेवक जिनकी शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक/कृषि डिप्लोमा (पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त) है, को क्या एसीपीपी लाभ के अंतर्गत रु० 4500-7000 (अनुसंशित) एवं द्वितीय एसीपीपी लाभ के अंतर्गत रु० 5000-8000 (अनुसंशित) का वेतनमान अनुमान्य किया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक। जनसेवक के एसीपीपी वेतनमान के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड के द्वारा कोई संकल्प निर्गत नहीं हुआ है। वित्त विभाग, झारखण्ड के एसीपीपी संबंधी संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14.08.2002 के प्रावधान के आलोक में कृषि एवं पशु विकास विभाग के द्वारा जनसेवक को प्रथम एसीपीपी वेतनमान रु4500-7000 तथा द्वितीय एसीपीपी वेतनमान रु5000-8000 स्वीकृत किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि मैट्रिक पास कर्मियों का एसीपीपी लाभ कृषि स्नातक/कृषि डिप्लोमा (पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त) कर्मियों से ज्यादा वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य किया गया है?	अस्वीकारात्मक। राज्यकर्मियों को एसीपीपी वेतनमान का लाभ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं अपितु वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14.08.2002 के प्रावधान के आलोक में दिया जाता है। जिन संवर्ग के कर्मियों के प्रोन्नति के दो पदसोपान उपलब्ध है, उन्हें प्रोन्नति के पदसोपान का वेतनमान में एसीपीपी लाभ स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।
(4) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग, झारखण्ड में कृषि स्नातक/डिप्लोमाधारी (पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त) जनसेवकों के एसीपीपी लाभ के	अस्वीकारात्मक। जनसेवकों को दिनांक 05.11.2012 से प्रभावी जनसेवक (नई एवं संशोधित) नियमावली (संशोधन), 2012 में

लिए कोई संचिका लंबित है?	निर्धारित पदसोपान के वेतनमान में एजीपी लाभ प्रदान करने के संबंध में कृषि एवं ग्रा० विकास विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। राज्य कर्मियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14.08.2002 द्वारा लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना दिनांक 31.08.2008 तक प्रभावी रहा है। दिनांक 01.09.2008 से वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या 2981/वि० दिनांक 01.09.2009 द्वारा लागू संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना प्रभावी है ऐसी स्थिति में दिनांक 05.11.2012 से प्रभावी जनसेवक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली (संशोधन), 2012 में निर्धारित पदसोपान के अनुसार जनसेवकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया है।
(5.) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी एजीपी लाभ हेतु संकल्प संख्या 5207 दिनांक 14.08.2002 के अनुसार वृत्ति प्रोन्नति हेतु जैसे कृषि स्नातक/डिप्लोमाधारी (पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त) जनसेवकों को उनके पद के प्रोन्नति हेतु निर्धारित पदसोपान के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रथम एजीपी लाभ के अन्तर्गत 5000–8000 (अपुनरीक्षित) एवं द्वितीय एजीपी लाभ के अन्तर्गत 6500–10500 (अपुनरीक्षित) देने हेतु पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। राज्य कर्मियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14.08.2002 द्वारा लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना दिनांक 31.08.2008 तक प्रभावी रहा है। दिनांक 01.09.2008 से वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या 2981/वि० दिनांक 01.09.2009 द्वारा लागू संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना प्रभावी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 05.11.2012 से प्रभावी जनसेवक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली (संशोधन), 2012 में निर्धारित पदसोपान के अनुसार जनसेवकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा सकता है।

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/विन्रा० (4) 13/2015–814/वि० रांची/दिनांक 26-05-2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची के ज्ञापांक 1478 वि०स०, दिनांक 19.03.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

269

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 20.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न (प्रश्न सं०–अ०सू०–17) की उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में महागामा जो नवसृजित अनुमण्डल है में "फायर ब्रिगेड" की शाखा नहीं है?		स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि महागामा में आगलगी की घटना होने पर गोड्डा मुख्यालय से अग्निशमन वाहन पहुँचने तक सबकुछ जलकर खाक हो जाता है, जिससे लोगों के जानमाल की क्षति हो जाती है?		अग्निकांड की सूचना प्राप्त होने पर यथासंभव अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर पहुँचने का प्रयास करती है किन्तु दूरी के अनुसार फायर इंजिनों के पहुँचने में समय लग जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार महागामा में "फायर ब्रिगेड" का सम्पूर्ण शाखा की व्यवस्था का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		इस संबंध में महानिदेशक सह महा समादेष्टा, अग्निशमन सेवा से प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त महागामा अनुमंडल में स्थायी रूप से अग्निशामालय खोलने की कार्रवाई की जा सकेगी।

ज्ञापांक– 05/विधा०–04/01/2015–1761/ राँची, दिनांक 27/03/2015 ई०.

प्रतिलिपि– 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-07, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.15
(शेखर जमुआर)
सरकार के उप सचिव।

अनुभ/

(272)

श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– का0–47 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद के विरूद्ध तत्कालीन उपायुक्त, धनबाद श्री प्रशांत कुमार द्वारा वर्ष 2014 में प्रपत्र– 'क' भरकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु भेजा गया था;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद के विरूद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–407/गो0, दिनांक 09.02.2015 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप प्राप्त है। इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु निर्णय विचाराधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि श्री सिंह जब वर्ष 2010 में भी धनबाद माडा एम0डी0 के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध तत्कालीन उपायुक्त, धनबाद के पत्र सं0–916/गो0, दिनांक 13.05.2011 के आधार पर तत्कालीन सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिवेदन पर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है। श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0 के वर्ष 2010 में एम0डी0, माडा, धनबाद के पद पर कार्यावधि में इनके विरूद्ध तत्कालीन उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–916/गो0, दिनांक 13.05.2011 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–3888, दिनांक 29.10.2011 के द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप विभाग में प्राप्त हुआ था। इसके आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इन्हें विभागीय संकल्प सं0–13712, दिनांक 13.12.2012 द्वारा निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्णित परिस्थितियों के उपरान्त भी दिनांक 18.03.2015 तक श्री सिंह माडा, धनबाद के एम0डी0 पद पर हैं;	उत्तर स्वीकारात्मक है। श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0 वर्तमान में एम0डी0, माडा, धनबाद के पद पर पदस्थापित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब श्री सिंह को उक्त स्थान से हटाते हुए इनके स्थान पर एक दक्ष पदाधिकारी को पदस्थापित करने की मंशा रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मामले को स्थापना समिति की अगली बैठक में रखा जायगा।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 5/आरोप (वि0स0)–3–1/2015 का0 2693/राँची, दिनांक 25 मार्च, 2015

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 1477 वि.स., दिनांक 19.03.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक-30.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–36 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक-30.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–36 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या बात यह सही है कि संयुक्त बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उप जातियों जैसे अन्सारी, दफाली, नाई, धोबी, पंवरिया, इराकी, चीक, बढ़ाईक, बंदर खेलवा, कुरैशी, कलाल आदि को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में अलग से कोटा निर्धारित था, जिसे झारखण्ड राज्य में जुलाई, 2000 से समाप्त कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अल्पसंख्यक उप जातियों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण नहीं मिलने से इनका विकास प्रभावित हो रहा है,	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित उप जातियों के लिये अलग से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–5162 दिनांक--25.09.2008 के द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए क्रमशः 08 प्रतिशत एवं 06 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध जातियों को तदनुसार आरक्षण उपलब्ध है। अतएव प्रश्न की कंडिका–1 में उल्लिखित जातियों के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अलग से कोटा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–14/2015 का0–247 /रांची, दिनांक 17/3/2015

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–1261 वि0स0 दिनांक–15.03.2015 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जातियों को अलग-अलग आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के संबंध में ।

झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप में) आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान में है। झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण की व्यवस्था थी । अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्र संघ द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण की व्यवस्था लागू किये जाने के विषय पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समेकित रूप से अन्य पिछड़े वर्ग को दी गई आरक्षण व्यवस्था के विपरित आदेश दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एल०पी०ए० सं०-176/2003 एवं 2371/2003 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने झारखण्ड सरकार के उस निर्णय को सही ठहराया जिसके अनुसार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप से 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य किया गया था। एल०पी०ए० में पारित न्यायादेश के विरूद्ध अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्र संघ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील सं०-3430/2006 दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :-

"we hold that the order dated 16.06.2003 passed by the Division Bench in L.P.A No. 176 of 2003 is set aside and the matter is remitted to the State Government for undertaking a deep study and research by a special committee of Experts constituted for the purpose or by appointing an expert Commission headed by a Retired High Court Judge or body as has been provided for in the Mandal Commission,s case to enquire into the recommendation/complaints made over under-inclusion and over-inclusion and make binding recommendation. The State government is directed to constitute an Expert Commission of a Body within three months from the date of the receipt of the order"

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इस विषय पर झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से प्रतिवेदन की मांग की गई । आयोग ने अपने पत्रांक–289/पी. दिनांक–26.02.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित 14 प्रतिशत आरक्षण को विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है । आयोग की अनुशंसा पर विधि विभाग की राय प्राप्त की गई और विधि विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसा पर अपनी सहमति देते हुए यह परामर्श दिया गया कि आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए तदनुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्देश, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा एवं इस विषय पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 14 प्रतिशत (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप में) आरक्षण को विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के लिए आरक्षण का प्रतिशत निम्नरूप में निर्धारित किया जाता है :–

(I) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) – 08 प्रतिशत

(II) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) – 06 प्रतिशत

4. एतद्विषयक पूर्व निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महामहिमराज्यपाल, झारखंड एवं बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए ।

(जे० बी० तुबिद)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/सी0–07–25/2005 का 5162/रांची, दिनांक 25 सितम्बर 2008

प्रतिलिपि :– श्रमीलाख, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–7/सी0–07–25/2006 का 5162/रांची, दिनांक–25 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ संयुक्त सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग/सभी विश्वविद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्राधार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.9.08

सरकार के सचिव ।

Niranjan-16-09-08.

275

श्री बादल, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–39, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वित्तीय वर्ष 2002–03 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक राज्य योजना मद के 16,675 करोड़ रुपये सरेंडर किये जा चुके हैं ?	वित्तीय वर्ष 2002–03 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक राज्य योजना मद के 15,393.31 करोड़ रुपये प्रत्यर्पण किये जा चुके हैं ।
(2.) यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजकीय समुचित विकास हेतु प्रावधानित योजना मद की पूरी राशि को खर्च करने की कोई कारगर मैकेनिज्म विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अगले वित्तीय वर्ष से योजना मद की शत–प्रतिशत राशि व्यय करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है यथा समीक्षा, कुछ नियमों का सरलीकरण, योजनाओं की त्वरित एवं सरकारी स्वीकृति आदि

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–10/वि० स० (4)–11/2015/ 252/कम्प्यूटर रांची/दिनांक : 25/03/15

प्रतिलिपि : एम सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक–1317 वि०स०, दिनांक–16.03.2015 के आलोक में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/15
(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(276)

श्री शिव शंकर उराँव, रा०वि०स० के द्वारा दिनांक–30.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–41 का उत्तर

प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 514 निर्दोष ग्रामीण बालकों को, जिनमें 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे झारखंड नक्सली के रूप में हथियारों के साथ फर्जी आत्मसमर्पण दिखाया गया था ;	अस्वीकारात्मक। यह स्वीकारात्मक है कि वर्तमान में जो तीन अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है उनके द्वारा ही कुछ लड़कों को आत्मसमर्पण करने के संबंध में गलत आश्वासन दिये गये थे एवं अबतक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि दिग्दर्शन संस्थान की संलिप्तता से कुछ लड़कों को छोड़ा दिया गया है। जहाँ तक 514 लड़कों की बात है तो इस संख्या की पुष्टि अब तक के अनुसार नहीं हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त ऐसे फर्जी नक्सली आत्मसमर्पित बालकों को पुराने जेल कैम्पस में सी०आर०पी० एफ० की अभिरक्षा में पुनर्वासन करने/पुलिस/ सी०आर०पी०एफ० की नौकरी में बहाली हेतु प्रशिक्षण दिलाने के नाम पर रखा गया था और प्रशिक्षण के नाम पर रूपये वसूली की गई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुराने जेल कैम्पस में सी०आर०पी०एफ० की अभिरक्षा में कैम्प चलाया जा रहा था जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग तथा शिविक एक्शन के तहत कुछ दिनों का प्रशिक्षण बारी–बारी से दिये जाने की बात प्रकाश में आई है। परन्तु इस कैम्प में प्रशिक्षण के नाम पर पैसे वसूलने के संबंध में अनुसंधान में पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप कि बाहरी संस्थान अर्थात दिग्दर्शन एवं उससे संलिप्त कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण एवं तथाकथित आत्मसमर्पण के नाम पर पैसा लिया गया है की पुष्टि हुई है एवं अनुसंधान अभी भी जारी है।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त ऐसे बालकों के संबंध में तत्कालीन सी०आर०पी०एफ० के पुलिस महानिरीक्षक ने निर्दोष होने की बात को स्वीकार किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देने के लिए दिग्दर्शन संस्थान की संलिप्तता पायी गई थी और उसके खिलाफ लोवर बाजार थाना में कांड संख्या–77/14, दिनांक–28.03.2014 अंकित है प्रशिक्षण हेतु राशि उक्त सभी लोगों ने अपनी जमीन पर गिरवी बेचकर चुकाया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अभी तक के अनुसंधान में प्रशिक्षण हेतु उक्त सभी लोगों के द्वारा अपनी जमीन, घर गिरवी रखकर/बेचकर चुकाये जाने के संबंध में कोई बात प्रकाश में नहीं आई है।
5	क्या यह बात सही है कि इस पूरे प्रकरण के अनुसंधान के क्रम में कई पुलिस/पदाधिकारियों की भी संलिप्तता पायी गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने मामले की सी०बी०आई० से जांच कराने की अनुशंसा की थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा इसकी जांच सी०बी०आई० से कराने हेतु अनुशंसा की गई है।
6	यदि उपरोक्त सभी कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त सरकारी ठगी के शिकार 514 निर्दोष और बेरोजगार ग्रामीण बालकों को न्याय दिलाएगी यदि नहीं तो क्यों ?	सरकार ठगी के शिकार युवकों को न्याय दिलाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह निबंधन।

ज्ञापांक–DB/वि०स०(04)–14/2015 1766/ राँची, दिनांक–27.03/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/15
सरकार के उप सचिव।

(277)

माननीया श्रीमती निर्मला देवी, स०वि०स० द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक–30.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–48 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स०वि०स० द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक–30.03.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–48 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात यह सही है कि राज्य में तेली जाति को पिछड़ा वर्ग–II में रखा गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में तेली जाति का जीवन स्तर निम्नस्तर है, जिसके चलते समाज में एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड (सरकारी नौकरी) के कारण अपना अधिकार से वंचित रहना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर तेली जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामील करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति की सूची में तेली सम्मिलित नहीं है। अनुसूचित जाति की सूची में किसी जाति का नाम भारत सरकार सम्मिलित कर सकती है। तेली जाति का नाम अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के बिन्दु पर झारखण्ड पिछड़ा वर्ग आयोग से प्रतिवेदन की मांग की गयी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई तदनुसार की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा०वि०स०–07–19/2015 का०–2684 /रांची, दिनांक 25/03/2015

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–प्र०–1528 वि०स० दिनांक–20.03.2015 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

माननीय स०वि०स० श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–40 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के अन्तर्गत गिरिडीह समाहरणालय एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों हेतु अनुसेवक/अन्य चतुर्थ वर्गीय रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से विज्ञापन सं०–01/2010–11 अन्तर्गत निबंधित डाक द्वारा गिरिडीह नियोजनालय के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की गई थी जिसका आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक–05.06.2010 थी;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पदों पर नियुक्ति की सभी प्रक्रियाएँ पुरी होने के बावजूद सफल अभ्यार्थियों को जान–बुझकर अबतक नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है जिससे सफल अभ्यार्थियों को काफी मानसिक आघात हुई है;	अस्वीकारात्मक है। दिनांक–30.03.2013 को गिरिडीह जिलान्तर्गत चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण के लिए जिला स्क्रीनिंग समिति के द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2010–11 को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कतिपय आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राँची में इसके विरूद्ध अपील दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिला स्क्रीनिंग समिति को सही मानते हुए याचिका रद्द कर दिया गया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड (1) में वर्णित पदों पर सफल अभ्यार्थियों को नियुक्ति–पत्र देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–27/2015 का०–2693/राँची, दिनांक–25/03/15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1316, दिनांक 16.03.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/03/15
(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(279)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या--30, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014—15 में राज्य सरकार को ब्याज भुगतान हेतु 2729.12 करोड़ रुपये का अधिपनी करना पड़ा है ?	वित्तीय वर्ष 2014 15 में राज्य सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु 2729.12 करोड़ रुपये का बजट उपबन्ध है ।
(2.) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण की वसूली वर्ष 2014—15 में मात्र 53.95 करोड़ रुपये है ?	वित्तीय वर्ष 2014—15 में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण की वसूली से 53.95 करोड़ रुपये का वसूली का अनुमान है ।
(3.) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार अपने द्वारा कई संस्थानों, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी उपक्रमों को दिये गए ऋण की वसूली नहीं कर पा रही है ?	राज्य सरकार लोकहित में अनिवार्य सेवा प्रदायी संस्थाएं जैसे ऊर्जा निगम, नगर निगम, जिला पर्षद आदि को ऋण उपलब्ध कराती है । ऋण वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है ।
(4.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त संस्थानों को दिए गए बकाया ऋण राशि को वसूलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को दिये गये ऋण की वसूली के लिए प्रयासरत है ।

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त—10 / वि० स० (4)—09 / 2015 / 25 / वित्त रांची / दिनांक : 25/03/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक—903 वि०स०, दिनांक 10.03.2015 के आलोक में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

माननीय श्रीमती मेनका सरदार, स0वि0स0 द्वारा चलते विधान सभा सत्र में दिनांक–30.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–45 का उत्तर प्रतिवेदन

श्रीमती मेनका सरदार, स0वि0स0 द्वारा चलते विधान सभा सत्र में दिनांक–30.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–38 का उत्तर निम्नवत अंकित है :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण लागू है तथा प्रोन्नति के लिए आरक्षण बिन्दू भी निर्धारित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण की प्रतिशत के साथ से रोस्टर बिन्दू के स्थान निर्धारित करते हुए प्रोन्नति की कार्रवाई की जाती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त व्यवस्था सरकार के सभी विभागों में लागू है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे विभाग जहाँ कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को उपर्युक्त व्यवस्था के तहत् प्रोन्नति की कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त तीनों कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक –14/झा0वि0स0–07–17/2015 का0–2686 /रांची, दिनांक 25/03/2015

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप सं0– प्र0 1418 वि0स0 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

281

श्री अरूप चटर्जी माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पूछे जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या वि०-44 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी श्री बलिराम शर्मा विगत तीन वर्षों से वित्त सचिव के OSD के पद पर कार्यरत है ।	अस्वीकारात्मक है । श्री बलिराम शर्मा नाम के कोई भी पदाधिकारी/कर्मचारी वित्त विभाग में विगत तीन वर्षों से पदस्थापित/कार्यरत नहीं है ।
2.	क्या यह बात सही है कि श्री बलिराम शर्मा वर्त्तमान समय में वित्त विभाग के सभी संचिकाओं का अवलोकन बिना किसी सरकारी अधिसूचना के निरंतर विलम्ब कर रहे है ।	अस्वीकारात्मक है ।
3.	क्या यह बात सही है कि चर्चित विषय खण्ड (2) के कारण वित्त विभाग की गोपनियता भंग हो रही है ।	अस्वीकारात्मक है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आवलम्ब उक्त कर्मचारी को वित्त विभाग से हटाने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्रमांक 1 के क्रम में इसकी आवश्यकता नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक :- 10/वि०स०(4)-12/15 - 351-1/वि० दिनांक :- 29-03-2015

प्रतिलिपि :-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके कार्यालय पत्रांक 1417/वि०स० दिनांक 18.03.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

29.03.15

सरकार के उप सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।